

मुकदमा नम्बर 56 / 2021

ON LINE NO. 2021/

सावित्री देवी पत्नि सुन्दरलाल जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील
श्रीडूंगरगढ़

बनाम


स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार महोदय श्रीडूंगरगढ़


उपस्थिति:-

1. श्री बजरंग लाल चोटिया अभिभाषक प्रार्थी
 2. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से
- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह प्रार्थना पत्र सावित्री देवी ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थिनी ग्राम गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ का स्थाई निवासी है। प्रार्थिनी की खातेदारी के खेत खसरा नं. 435 तादादी 3.00 हैक्टेयर खसरा नं. 436 तादादी 4.38 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 7.3800 हैक्टेयर रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थिनी के ही कब्जा कास्त व उपयोग उपभोग में चले आ रहे हैं। प्रार्थिनी का सही व वास्तविक नाम सावित्र पत्नी सुन्दरलाल जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ है व प्रार्थिनी के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र पेन कार्ड बैंक पासबुक व राशन कार्ड में भी प्रार्थिनी का नाम सावित्री देवी पत्नी सुन्दरलाल जाति जाट निवासी गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने भूलवंश प्रार्थिनी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 435 तादादी 3.00 हैक्टेयर खसरा नं. 436 तादादी 4.38 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 7.3800 हैक्टेयर रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थिनी का नाम साथीदेवी पत्नि सुन्दरलाल जाट अंकित कर दिया है। प्रार्थिनी ने दिनांक 18.02.2021 को अपने उक्त खेत के राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की तो प्रार्थिनी को अपने खेत खसरा नम्बर 435 तादादी 3.00 हैक्टेयर खसरा नं 436 तादादी 4.38 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल तादादी 7.3800 हैक्टेयर रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में अपना नाम सावित्री देवी पत्नि सुन्दरलाल के स्थान पर साथी देवी पत्नि सुन्दरलाल दर्ज होने की जानकारी हुई। तब प्रार्थिनी ने हल्का पटवारी से नाम सही करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने कहा प्रार्थिनी से कहा कि संक्षम न्यायालय से आदेश करवाओ तभी राजस्व रिकार्ड में संशोधन हो सकता है। उक्त खेत में प्रार्थिनी का गलत नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थिनी को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उक्त खेत प्रार्थिनी के खातेदारी के हाने से व उक्त खेतों पर प्रार्थिनी का कब्जा कास्त व उपयोग उपभोग चले आने से प्रार्थिनी को उक्त खेतों के सम्बंध में वादाधिकार व वादहेतु प्राप्त है। उक्त खेत रोही गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इसलिये न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र को सुनने का श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि प्रार्थिनी पत्र जानकारी से अन्दर मियाद पर पेश है व पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थिनी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 435 तादादी 3.00 हैक्टेयर खसरा नम्बर 436 तादादी 4.38


उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)



हैक्टैयर कुल खसरा 2 तादादी 7.3800 हैक्टैयर रोही गुंसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थिनी का नाम साथीदेवी पत्नि सुन्दरलाल जाति जाट के स्थान पर सावित्रीदेवी पत्नि सुन्दरलाल जाति जाट अंकित कर उक्त खेतों के राजस्व रिकार्ड में संशोधन किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नहीं है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 435 तादादी 3.00 हैक्टैयर खसरा नम्बर 436 तादादी 4.38 हैक्टैयर कुल खसरा 2 तादादी 7.3800 हैक्टैयर रोही गुंसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में प्रार्थिनी का नाम साथीदेवी पत्नि सुन्दरलाल जाति जाट के स्थान पर सावित्री देवी पत्नि सुन्दरलाल जाति जाट नाम शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते हैं। रहन यथावत रहेगा। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक 07.04.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।



(दिब्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (श्रीडूंगरगढ़ जिल्ला)